अपील सूचना अधिकार संख्या 150/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से चाही गई 6 बिन्दुओ की सूचनाओ के संबंध में उनके द्वारा अपने पत्र सं0 1831 दिनांक 14.10.15 के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

उपजिला निर्वाचन अधिकारी के पत्रांक 24959 दिनांक 16.09.15 से संबंधित सूचनाएं

1. पत्रांक जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर का पत्रांक 24959 दिनांक 16.09.2015 आपके कार्यालय मे पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति का कमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उपरोक्त पत्र 24959 दिनांक 16.09.2015 में प्रार्थी के पत्रांक जो संलग्न किया है उसमें वर्णित तथ्यों के बारे में सुभाष गोयल द्वारा शपथ पर दिये गये विरोधाभाषी बयानो के सम्बंध में की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर के पत्रांक 123 दिनांक 08.05.2016 जो आपको सम्बोधित है के आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख आर.आर.नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. पत्र में वर्णित वांछित सूचना में बी.एल.ओ सुभाष गोयल बी.एल.ओ. 26.09.2005 को न होते हुए भी दिनांक 26.09.2005 को शपथ पर न्यायालय में बी.एल.ओ. होने के कथन किये है इस मिथ्या कथन पर आप द्वारा की गई अभियोजन के बारे में सूचना व की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि। जबकि सुभाष गोयल बी.एल.ओ. की नियुक्त 03.11.2007 को हुई थी।
5. मिथ्या कथन करने के उपरान्त आप द्वारा सुभाष गोयल के विरूद्ध कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. पत्रांक 123 दिनांक 08.05.2015 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1877 दिनांक 02.11.2015 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1833 दिनांक 14.10.2015 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1833 दिनांक 14.10.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आपका आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2015 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2015 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा चाही गई 6 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में काई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुॅक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो सबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों मे सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 14.10.2015 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर